# राजस्थान सरकार
## निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर

वित्त भवन , ए–ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर–302015
(दूरभाष नं0:–0141–2740837 , , **फैक्स** 0141–2742309 , **ई–मेल**:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:– एफ4(ई)(एल–1770 / 2013) / अलेसे–ाा / 544 दिनांक:– 29-03-2023

**आदेश संख्या: 693 / 2022–23**

श्री लोकेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार **(लिंक नं0 13025)** कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, भरतपुर के विरूद्व शासन सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक पं.8(2)साप्र / 5 / 2019 दिनांक 16.09.2019 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट / सिफारिश के आधार पर श्री लोकेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार तत्कालीन कार्यालय प्रबंधक, राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली को निदेशालय के आदेश कमांक 474 / 2019–20 दिनांक 17.09.2019 से राजस्थान सिविल सेवायें **(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)** 1958 नियम–16 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया था, तथा विभागीय ज्ञापन कमांक 894–897 दिनांक 20.10.2021 द्वारा राजस्थान सिविल सेवायें **(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)** नियम–1958 के नियम–16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया।

श्री लोकेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के गुणावगुण आधार पर परीक्षण करने के उपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर श्री लोकेन्द्र सिंह को जांच लम्बित रखते हुए निदेशालय आदेश कमांक 612 / 2022–23 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा निलम्बन से बहाल करते हुए पदस्थापन कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, भरतपुर में किया गया। जिसके अनुसरण में श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 08.08.2022 को मध्यान्ह् पूर्व पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण किया गया, तथा निलम्बन अवधि का निर्णय जॉच के निर्णय के अध्यधीन रखा गया।

विभागीय आदेश कमांक 633–636 दिनांक 09.01.2023 द्वारा श्री लोकेन्द्र सिंह को उपरोक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत समस्त आरोपों से मुक्त करने एवं निलम्बन अवधि दिनांक 17.09. 2019 से 05.08.2022 तक के देय समस्त वेतन एवं भत्तों के भुगतान एवं निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल मानने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त आधार पर श्री लोकेन्द्र सिंह, कनि. लेखाकार को दिनांक 17.09.2019 से 05.08.2022 तक की निलम्बन अवधि के बकाया वेतन भत्ते **(पूर्व में भुगतान किये गये निर्वाह भत्तों को घटाकर)** का भुगतान कोषालय, भरतपुर से आहरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:– एफ4(ई)(एल–1770 / 2013) / अलेसे–ाा / 544 दिनांक:– 29-03-2023

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. संयुक्त शासन सचिव , वित्त (राजस्व) विभाग , राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, भरतपुर।
3. कोषाधिकारी, भरतपुर।
4. प्रबंधक, राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली।
5. श्री लोकेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, भरतपुर
6. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)।
7. निजी सहायक निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–ाा / ााा)

E:\2019\NEERAJ JI\LETTER.DOCX:- 148